न्यायालय–उपखण्ड अधिकारी, देसूरी, जिला–पाली (राज0)

पिठासीन अधिकारी– श्रीमति राजलक्ष्मी गहलोत(R.A.S.)
राजस्व विविध संख्या– 19/2019
तारीख निर्णय– 15/09/2020

वादीगण–

1. पनकी पत्नी गोमारामजी
2. वदोमी पत्नी मांगीलालजी
3. भरत पुत्र मांगीलालजी आयु 15 वर्ष नाबालिक जरिये कुदरती वलिया माता वदोमी पत्नि मांगीलालजी
4. भारती पुत्री मांगीलालजी आयु 13 वर्ष नाबालिक जरिये कुदरती वलिया माता वदोमी पत्नि मांगीलालजी
5. पिंकी पुत्री मांगीलालजी आयु 11 वर्ष नाबालिक जरिये कुदरती वलिया माता वदोमी पत्नि मांगीलालजी
6. भावेश पुत्र मांगीलालजी आयु 10 वर्ष नाबालिक जरिये कुदरती वलिया माता वदोमी पत्नि मांगीलालजी
7. दीपक पुत्र मांगीलालजी आयु 04 वर्ष नाबालिक जरिये कुदरती वलिया माता वदोमी पत्नि मांगीलालजी
8. वर्षा पुत्री मांगीलालजी आयु 02 वर्ष नाबालिक जरिये कुदरती वलिया माता वदोमी पत्नि मांगीलालजी
9. मूलाराम पुत्र गोमारामजी
10. रताराम पुत्र गोमारामजी
11. कस्तुर पुत्र गोमारामजी
12. लाला पुत्र गोमारामजी

तमामत जातिगण–मेघवाल निवासीगण– माण्डीगढ़, तहसील–देसूरी, जिला – पाली, राजस्थान

–: विरूद्ध :–

प्रतिवादीगण–

1. नेनाराम पुत्र भैराजी
2. किरण कुमार पुत्र पुखराजजी जाति–गांछा निवासी – सादडी तह.–देसूरी, पाली
3. मृतक जमनी पत्नी भूरारामजी के वारिसान
   3/1– गजरो पुत्री भूराराम
   3/2– लच्छाराम पुत्र भूराराम
4. वरजुदेवी पत्नी मगनारामजी
5. मृतक मानाराम पुत्र कलारामजी के वारिसान :–
   5/1– टिपु पत्नी मानाराम

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.19 14:45:45 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

पेज लगातार 02 पर....

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

5/2– हस्तीमल पुत्र मानाराम
5/3– शारदा पुत्री मानाराम
5/4– मंजु पुत्री मानाराम
5/5– हरमत पुत्र मानाराम ना.बा. जरिये कुदरती वलिया माता टिपु पत्नी मानाराम
तमाम जातिगण– मेघवाल निवासीगण– माण्डीगढ, तहसील– देसूरी जिला– पाली

(वाद अन्तर्गत धारा– 53, 88,राज0 काश्त0 अधिनियम)

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति–
1– श्री शंकरलाल मीणा अधिवक्ता वादीगण की ओर से।
2– श्री महेन्द्र कुमार शर्मा
प्रतिवादीगण संख्या–1,2,3 के कायम मुकाम की ओर से ।

–: **निर्णय** :– **दिनांक– 15/09/2020**

प्रकरण हाजा के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की ओर से अप्रार्थीगण के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा– 212 राज0 काश्त0 अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि– मौजा ग्राम माण्डीगढ़ पटवार हल्का माण्डीगढ के खसरा नम्बर 635 रकबा 0.1700 हेक्टर किस्म चाही प्रथम जाव अव्वल खसरा नम्बर 636 रकबा 1.1600 हेक्टर किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 637 रकबा 0.2800 हेक्टर किस्म चाही प्रथम जाव अव्वल, खसरा नम्बर 638 रकबा 0.2900 हैक्टर किस्म चाही प्रथम जाव अव्वल, खसरा नम्बर 639 रकबा 0.0100 हैक्टर किस्म गै.मु. बेरा, खसरा नम्बर 640 रकबा 0.0400 हैक्टर किस्म गै.मु. सड़ा, खसरा नम्बर 641 रकबा 0.2700 हैक्टर किस्म चाही प्रथम जाव अव्वल , खसरा नम्बर 642 रकबा 0.2800 हैक्टर किस्म चाही प्रथम जाव अव्वल, खसरा नम्बर 643 रकबा 0.4300 हैक्टर किस्म चाही प्रथम जाव अव्वल कुल खसरा 09 कुल रकबा 1.9300 हैक्टर लगान 71.96 रूपये विद्यमान है। जिसमें प्रार्थीगण संख्या 01 लगाय 12 का संयुक्त 1/6 हिस्सा एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 का 1/6 हिस्सा, अप्रार्थीगण संख्या 2 का 1/6 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 3 का 1/6 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 4 का 1/6 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 5 का 1/6 हिस्सा विद्यमान है। प्रमाण स्वरूप जमाबंदी संवत् 2073–76 की प्रति पत्रावली में संलग्न है।

यह है कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की है जिसका प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा नही हुआ है। मौके पर प्रार्थीगण का माफिक खातेदारी के हिस्से अनुसार कब्जा काश्त चला आ रहा है, किन्तु चुंकि कानूनन बाई मिट्स [illegible] किया हुआ नही होने से अप्रार्थीगण उनके हिस्से से ज्यादा भूमि पर काश्त [illegible] आमादा है। तथा किसी अजनबी क्रेता को विशेष भू–भाग की [illegible] करने पर आमादा है। जिसको रोका जाना नितान्त आवश्यक है [illegible] को अकथनीय क्षति होगी एवम् प्रार्थीगण के हक अधिकारो पर कुठाराघात होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.19 14:45:45 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार 03 पर...

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे एवम् मूल वाद के निर्णय तक अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें कि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण के कब्जा एवं काश्त सुदा खातेदारी के सयुक्त 1/6 हिस्से की आराजीयता में प्रार्थीगण के कब्जा काश्त मे अप्रार्थीगण किसी प्रकार से कोई हस्तक्षेप व दखलन्दाजी नही करे व न ही किसी अन्य से करावें व जमीन को खुर्द बुर्द नही करें हस्तक्षेप नही करें तथा विशेष भू–भाग की प्रार्थीगण की जमीन पर काश्त नही करें एवम् मूल वाद के निर्णय तक मौका व रिकोर्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थीगण संख्या 3/1 से 5/5 की ओर से महेन्द्र कुमार शर्मा ने वकालत नामा पेश किया। अप्रार्थीगण संख्या 1, 2, बावजूद सम्मन तामिल के अनुपस्थित होने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल लाई गई। वकील अप्रार्थीगण संख्या 3/1 से 5/5 की ओर से दिनांक 26.11.2019 को जवाब पेश किये।

अप्रार्थी की ओर से प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र का जबाब इस प्रकार पेश कर निवेदन किया कि यह कथन सही है कि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण संख्या 01 लगाय 12 का संयुक्त 1/6 हिस्सा एवं अप्रार्थी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 2 का 1/6 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 3 का 1/6 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 4 का 1/6 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 5 का 1/6 हिस्सा विद्यमान है। उक्त वादग्रस्त आराजी का 40 वर्ष पूर्व मौके पर आपसी सहमति एवं रजामंदी से बंटवाडा किया हुआ है एवम् मौके पर आवाजाही हेतु रास्ते रखे हुए है जिस अनुरूप मौके पर पृथक पृथक कब्जा काश्त चला आ रहा है एवम् मौके पर बंटवाडा किया हुआ होने से मानाराम द्वारा दिनांक 25.08.2004 को श्रीमति वरजु के पक्ष में कराये गये रजिस्टर्ड विक्रय में मानाराम द्वारा यह स्पष्ट रूप से अंकित किया हुआ है कि "उक्त आराजियात मौके पर बंटी हुई है एवम् मेरे हिस्से की भूमि मौके पर अलग बंटी हुई है जिस पर आधिपत्य मौके पर केता को सुपुर्द कर दिया है" एवम् अप्रार्थीगण स्वयं भी अपने वाद पत्र के पैरा संख्या 4 में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि वादग्रस्त आराजियात का बंटवाडा किया हुआ है एवं मेरे हिस्से की भूमि मौके पर अलग बंटी हुई है जिस पर आधिपत्य मौके पर केता को सुपर्द कर दिया है"। इस प्रकार प्रार्थीगण स्वयं मानते है कि मौके पर वादग्रस्त आराजी का बंटवाडा किया हुआ है तथा प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में यह कथन भी किया है कि प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण [illegible] पर हुए बंटवाडे के अनुसार राजस्व रिकोर्ड में अपने अपने हिस्से [illegible] करवाने का मौखिक निवेदन करने के बावजूद भी [illegible] वाद उदित हुआ है। इसी प्रकार प्रार्थी स्वंय स्वीकार करता है कि वादग्रस्त आरा[illegible] का बंटवाडा हुआ है जिससे प्रार्थीगण कानूनन पाबन्द है। तथा अप्रार्थीगण पूर्व के हुए बंटवाडा अनुसार मौके पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.19 14:45:45 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार 04 पर...

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

पृथक पृथक कब्जा काश्त अनुसार रिकोर्डली बंटवाडा किये जाने में अप्रार्थीगण सहमत रहे है व है।

अतः प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य 40 वर्ष पूर्व हुए बंटवाडा अनुसार मौके पर सभी का अपने अपने बंट की भूमियों पर पृथक पृथक कब्जा काश्त चला आ रहा है, जिसमें प्रार्थीगण का कोई दखल नही है। अप्रार्थीगण द्वारा किसी भूमि विशेष को खुर्द बुर्द करने का प्रश्न नही है एवम् अप्रार्थीगण द्वारा किसी अजनबी केता को विशेष भूमि की जमीन बेचान हस्तान्तरण, अन्तरण करने पर आमदा होने का प्रश्न ही नही है एवम् अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार से कोई अवैध कृत्य नही किया गया है।अतः अप्रार्थीगण को उनके बंट की भूमि पर काश्त करने से रोके जाने हेतु कानूनन प्रार्थीगण कोई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है। प्रार्थीगण उनके बंट की भूमि पर पृथक काबिज है एवं काश्त करते आ रहे है जिसमें अप्रार्थीगण ने कोई दखल नही है, जिससे प्रार्थीगण को कोई अकथनीय क्षति होने का प्रश्न नही है एवं न ही प्रार्थीगण के किसी हक अधिकारो पर कुठारघात होने का प्रश्न है।

मौके पर वक्त बंटवाडा के उपयोगी तथा अनुपयोगी भूमियों को मध्य नजर रखते हुए बंटवाडा किया हुआ है किसी प्रकार से कम ज्यादा भूमि पर कब्जा करने पर उतारू होने या अजनबी व्यक्ति को बेचान करने की धमकिया देने का प्रश्न ही पैदा नही होता है।अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजियात के रिकोर्डड सह खातेदार टिनेन्ट है एवं अपने खातदोरी हिस्सानुसार काबिज है एवं अपने बंट पर काश्त करते आ रहे है एवं उनके खातेदारी हिस्से की भूमि पर काश्त से वंचित करने हेतु कानूनन किसी प्रकार की कोई अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के प्रार्थीगण अधिकारी नही है एवम् कानूनन भी अप्रार्थीगण सह खातेदार टिनेन्ट के विरूद्ध किसी प्रकार से कोई अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है एवं यदि ऐसी कोई अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो अप्रार्थीगण अपने विधिक एवं खातेदारी हक हिस्से की कृषि के उपयोग उपभोग से वंचित हो जावेगे एवम् काश्त से वचित हो जावेगे एवम् अप्रार्थीगण के जायज हक अधिकारो पर कुठारघात होगा।अप्रार्थीगण को अकथनीय क्षति होगी जिसकी पुर्ति रूपयो पैसो में नही की जा सकती है एवम् सुविधा का सतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में नही है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सारहिन होने से काबिल खारिज के है।

बहस प्रार्थी के अधिवक्ता सुनी गई। बहस पर मनन किया गया एवं इस पत्रावली व मूल वाद–पत्र की पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये:–

1. श्रीमति प्रकाश कंवर बनाम कैलाश चन्द RRT 2001(2)-
2. श्रीराम बनाम बोदुराम RRT 2004(1)-36
3. अर्जुनलाल ,बनाम गोपीलाल RRT 2002(2)-758
4. सविला बनाम लक्ष्मण RRT 2013(1)-415
5. रामकरण बनाम गेवरी RRT 2010(2)-1392

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.19 14:45:45 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार 05 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

इस प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेत अस्थाई निषेधाज्ञा दिये जाने बाबत निम्न तीन बिन्दुओं पर विचारण किया गया।

प्रथम दृष्ट्या मामला :– प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस कथन किया कि विवाद ग्रस्त आराजी प्रार्थीगण व अप्रार्थी की संयुक्त खातेदारी व कब्जासूद है। मौके पर प्रार्थीगण का माफिक खातेदारी के हिस्से अनुसार कब्जा काश्त चला आ रहा है, किन्तु चुंकि कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा किया हुआ नही होने से अप्रार्थीगण उनके हिस्से से ज्यादा भूमि पर काश्त करने पर आमादा है तथा किसी अजनबी केता को विशेष भू–भाग की जमीन बेचान, हस्तान्तरण, अन्तरण करने पर आमादा है।। वकील अप्रार्थी ने जबकि अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने बहस मे कथन किया पूर्व में हुए बंटवाडा अनुसार मौके पर सभी का अपने अपने बंट की भूमियो पर कब्जा काश्त चला आ रहा है जिससे अप्रार्थीगण का कोई दखल नही है तथा मौके पर वक्त बंटवाडा के उपयोगी एवम् अनुपयोगी भूमियो को मध्य नजर रखते हुए बंटवाडा किया हुआ है। किसी प्रकार से कम ज्यादा भूमि पर कब्जा करने पर उतारु होने या अजनबी व्यक्ति को बेचान करने की धमकिया देने का प्रश्न ही पैदा नही होता है।

वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण एवम् अप्रार्थीगण सयुक्त रूप से रिकोर्डेड खातेदार व सह खातेदार है। तथा प्रार्थीगण ने भी अपने वाद पत्र में स्वीकार किया है कि मौके पर वादग्रस्त आराजी का हिस्से अनुसार कब्जा काश्त चला आ रहा है। अतः सहखातेदार के विरूद्ध उनके हिस्से के उपयोग के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। प्रार्थना पत्र का प्रथमदृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष मे साबित नही होता है।

सुविधा का संतुलन :– अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने बाबत सुविधा का संतुलन बिन्दु पर विचार किया गया। प्रार्थी ने वाद पत्र में स्वीकार किया है कि उक्त वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण को मौके पर हुये बंटवाडे अनुसार राजस्व रिकोर्ड में अपने अपने हिस्से अनुसार राजस्व रिकोर्ड में अपने अपने हिस्से अनुसार बाई मिटस् एण्ड बाउण्ड बंटवाडा करवाने का मौखिक निवेदन करने के बावजूद भी नही मानने पर विनाय उदित हुआ है। अतः प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य हुये मौखिक बंटवाडे के अनुसार काबिज है जिससे अप्रार्थीगण को ज्यादा असुविधा व वाद विवाद बढने की पूर्ण सम्भावना रहेगी। जिससे सुविधा सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष मे साबित नही होता है।

अपूरणीय क्षति :– अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर न्यायालय द्वारा विचार किया गया। तथा वकील प्रार्थीगण ने कथन किया कि वादग्रस्त [illegible] जी के मुकदमे की सुनवाई होकर निर्णय होने में काफी समय [illegible] का अन्तरण हो गया तो वाद का मकसद ही समाप्त हो [illegible] प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.19 14:45:45 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार 06 पर...

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

न्यायालय की राय मे कानूनन भी अप्रार्थीगण सह खातेदार है ऐसी कोई अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो अप्रार्थीगण अपने विधिक एवं खातेदारी हक हिस्से की कृषि भूमि के उपयोग उपभोग से वंचित हो जावेगे एवं काश्त से वंचित हो जावेगे एवं अप्रार्थीगण के जायज हक अधिकारो पर कुठाराघात होगा एवं अप्रार्थीगण रोजी रोजगार से वंचित हो जावेगे जिससे प्रार्थीगण से ज्यादा अप्रार्थीगण को अकथनीय क्षति होगी।

अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने बाबत तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होने से न्यायालय प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना उचित समझता है। अतएवं

—: आदेश :—

प्रार्थीगण का यह अस्थायी व्यादेश का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा— 212 राजस्थान काश्तकारी अधिकारी अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

आदेश आज दिनांक— 15/09/2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.19 14:45:45 IST
Reason: SelfAttested